eISSN 2581-8996
ONLINE
THE INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN MULTIDISCIPLINARY SCIENCES (IJARMS)
A BI-ANNUAL, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) JOURNAL
Volume 04, Issue 01, Jan 2021

भारत में महिला सशक्तिकरण– राजनीतिक परिप्रेक्ष्य

डॉ0 शालिनी सोनी[1]
[1]समाजशास्त्र विभाग, राजकीय महिला महाविद्यालय, बेहट (सहारनपुर)

Received: 20 Nov 2020, Accepted: 30 Nov 2020, Published with Peer Review on line: 31 Jan 2021

Abstract

भारत में महिला सशक्तिकरण एक बहुआयामी अवधारणा है, जिसका राजनीतिक परिप्रेक्ष्य अत्यंत महत्वपूर्ण है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारतीय संविधान ने महिलाओं को समानता, स्वतंत्रता और राजनीतिक अधिकार प्रदान किए, किंतु व्यावहारिक स्तर पर उनकी राजनीतिक भागीदारी लंबे समय तक सीमित रही। समय के साथ विभिन्न नीतिगत पहलों, आरक्षण व्यवस्थाओं तथा सामाजिक जागरूकता अभियानों के माध्यम से महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी में वृद्धि हुई है। पंचायती राज संस्थाओं में 33 प्रतिशत (और कई राज्यों में 50 प्रतिशत) आरक्षण ने स्थानीय स्तर पर महिला नेतृत्व को सुदृढ़ किया है, जिससे निर्णय–निर्माण प्रक्रियाओं में उनकी सक्रिय भूमिका सुनिश्चित हुई है। हालांकि, संसद और विधानसभाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व अभी भी अपेक्षाकृत कम है, जो लैंगिक असमानता की निरंतरता को दर्शाता है। पितृसत्तात्मक संरचना, शिक्षा का अभाव, आर्थिक निर्भरता तथा राजनीतिक दलों में अवसरों की कमी जैसी चुनौतियाँ महिला सशक्तिकरण के मार्ग में बाधक हैं। इसके बावजूद, समकालीन भारत में महिलाओं की राजनीतिक चेतना, नेतृत्व क्षमता और सहभागिता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। यह अध्ययन इस बात पर बल देता है कि प्रभावी नीतियों, शिक्षा, और सामाजिक परिवर्तन के माध्यम से महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण को और अधिक सुदृढ़ किया जा सकता है, जिससे लोकतंत्र अधिक समावेशी और सुदृढ़ बनेगा।

कुंजी शब्द – महिला सशक्तिकरण, राजनीतिक भागीदारी, लैंगिक समानता, पंचायती राज, आरक्षण नीति, महिला नेतृत्व, लोकतंत्र, सामाजिक परिवर्तन

Introduction

स्वतंत्रता के बाद से ही महिलाओं का विकास हमारी आयोजना का केन्द्रीय विषय रहा है, परन्तु पिछले बीस वर्षों से कई नीतिगत बदलाव आये हैं। 1970 के दशक में जहाँ कल्याण की अवधारणा अपनायी गयी, वहीं 1980 के दशक में विकास पर जोर दिया गया। 1990 के दशक में महिला अधिकारिता, यानि सशक्तिकरण पर जोर देने के साथ ही यह प्रयास भी किया गया कि महिलाएँ निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल हों और नीति – निर्माण के स्तर पर भी उनकी सहभागिता रहे। वस्तुतः महिला सशक्तिकरण का अर्थ ऐसी प्रक्रिया से है, जिससे महिलाओं की अपने आप को संगठित करने की क्षमता बढ़ती तथा सुदृढ़ होती है। महिला सशक्तिकरण को अभिकेन्द्र में रखकर संविधान में भारतीय महिलाओं को पुरूषों के बराबर धरातल पर रखा गया है।[1] वर्तमान में किसी भी समाज के विकास व प्रगति का मूल्यांकन उस बात से किया जा सकता है कि उसकी भागीदारी राजनीति में व सत्ता में किस स्तर तक है। यदि इतिहास के कुछ पिछले अध्यायों को टटोलकर देखें और महिलाओं की स्थिति का विवेचन करने से पहले एक झलक विश्व व्यवस्थापिकाओं में महिलाओं की स्थिति पर प्रकाश डालें तो विषय की स्पष्टता और भी मुखर हो सकेगी।

eISSN 2581-8996
ONLINE
THE INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN MULTIDISCIPLINARY SCIENCES (IJARMS)
A BI-ANNUAL, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) JOURNAL
Volume 04, Issue 01, Jan 2021

संसद में महिलाओं की संख्या के आधार पर भारत का स्थान विश्व में पैंसठवां है। एशिया में भी भारत का स्थान इस सन्दर्भ में ग्यारहवां है।[2] स्वतंत्र भारत के संविधान में महिलाओं की भागीदारी के प्रश्न को काफी लम्बे अर्से से विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय मंचों पर भी लगातार उठाया जाता रहा है। सन् 1952 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा आयोजित महिलाओं के राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न संगठनों द्वारा इस विषय पर सम्मेलन, समागम व गोष्ठियां आयोजित कराई जाती रही हैं, प्रस्ताव पारित किये जाते रहे हैं, लेकिन फिर भी न तो भागीदारी में महिलाओं की संख्या बढ़ी और न ही उनका महत्त्व। भारत में महिलाओं को रसोई से संसद तक लाने की बात तो खूब होती है, लेकिन ये बातें अंजाम तक नहीं पहुँचती हैं। भारतीय पुनर्जागरण काल में महिलाओं के पक्ष में सामाजिक विधायन के लिये अनेक लोगों ने संघर्ष किया, जिसका सकारात्मक परिणाम भी प्राप्त हुआ। इस संबंध में राजा राममोहन राय, ईश्वरचन्द्र विद्यासागर, केशवचन्द्र सेन, डी. के. कर्वे, रानाडे, गोपाल कृष्ण गोखले एवं एनी बेसेण्ट की भूमिका इतिहास में दर्ज है। उन्नीसवीं सदी की एक महत्त्वपूर्ण विशेषता लड़कियों की शिक्षा का प्रयास है। इस काल में महिलाओं की स्थिति सुधारने हेतु महिला शिक्षा में वृद्धि हुई जिससे व्यवसायों में महिलाओं ने महत्त्वपूर्ण भूमिकाओं को निभाना आरम्भ किया जैसे– शिक्षक, चिकित्सक, स्वास्थ्य सेवाकर्त्ता इत्यादि। इस प्रकार सार्वजनिक जीवन में महिलाओं का प्रभुत्व शुरू हुआ। महिला संगठनों का निर्माण एवं महिला अधिकारों के लिए संगठित प्रयास बीसवीं सदी के आरंभिक काल में शुरू हो गये थे।[3] सन् 1917 में महिलाओं का भारत संघ एवं 1920 में भारतीय महिलाओं की राष्ट्रीय परिषद का गठन हुआ। 1927 में महिला कल्याण और विकास के लिये अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की स्थापना की गई, जिसने महिला मुद्दों को व्यापक राष्ट्रव्यापी स्वरूप प्रदान किया। 1929 में गठित राष्ट्रीय उदारवादी संघ एवं महिला कोष संघ ने भी महिला कल्याण की दिशा में उल्लेखनीय कार्य किये। एक महिला प्रतिनिधि मण्डल ने 1970 में भारत सचिव से मिलकर महिला मताधिकार की मांग की। महिलाओं के लिए समान अधिकारों, विशेषकर राजनैतिक अधिकार के संघर्ष में सरोजिनी नायडू, मार्गेट काजिन्स, एनी बेसेन्ट, मुथु लक्ष्मी रेड्डी, रामेश्वरी नेहरू, बेगम हामिद अली एवं राजकुमारी अमृत कौर सहित अनेक महिलाओं की भूमिका महत्वपूर्ण रही। स्पष्ट है कि महिलाओं के अधिकारों हेतु भारत में महिलाओं ने स्वयं आगे बढकर कार्य किया है।[4] वर्तमान लोकतांत्रिक मूल्यों को सुदृढ़ बनाने के लिए समाज के समावेशी विकास की आवश्यकता है। सभी वर्गों के विशेषकर उपेक्षित, उत्पीड़ित पिछड़े एं दलित वर्गों को विकास का समुचित लाभ दिलाकर ही एक मजबूत समाज की स्थापना संभव है। देश के विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए नियोजन को अपनाया गया है, जिसके अन्तर्गत अब तक दस पंचवर्षीय योजनाएँ पूरी हो चुकी हैं।

इन योजनाओं में आरंभ से ही महिला कल्याण, विकास एवं हितों को बढ़ावा देने का काम किया गया। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दृष्टिकोण पत्र से स्पष्ट है कि निर्वाचित संस्थाओं, राज्य विधान मण्डलों और संसद में महिलाओं का पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित कराना एवं समाज की बेसहारा व अकेली महिला को संरक्षण देना योजना के लक्ष्यों में रहेगा। महिला सशक्तिकरण, राष्ट्रीयकरण व राष्ट्रीय नीति 2001 के माध्यम से भी भारतीय महिलाओं को समान अधिकार, समान स्वतंत्रता एवं समान स्तर प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है, जिससे वे जीवन के विभिन् क्षेत्रों में पुरूषों के समान सुविधाओं का उपभोग करने में समर्थ हो सकें।[5] महिलाओं को सामाजिक न्याय उपलब्ध कराने की दिशा में राजनीति में हस्तक्षेप व सत्ता में भागीदारी महत्वपूर्ण पहल करती हुई दिखाई पड़ती है। यदि वास्तविक रूप की दशा में सकारात्मक एवं क्रांतिकारी

eISSN 2581-8996
ONLINE
THE INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN MULTIDISCIPLINARY SCIENCES (IJARMS)
A BI-ANNUAL, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) JOURNAL
Volume 04, Issue 01, Jan 2021

परिवर्तन हो सकता है, यदि सामाजिक ताने–बाने की बात करें तो अनेक विसंगतियां अब भी जन्म ले रही हैं। सन् 2007 में हुए एक अध्ययन से पता चलता है कि उत्तरी भारत में लोग अब ऐसे छोटे परिवार को पसंद कर रहे हैं, जिसमें बेटियों की जगह नहीं है। सर्वे स्थलों में समग्र लिंग अनुपात 2001 की जनगणना की तुलना में बेहद चिन्ताजनक पाया गया।[6] समाज में लैंगिक भेदभाव कई क्षेत्रों में हिंसा और महिलाओं के विरूद्ध अपराध के रूप में और भी गंभीर हो गया है क्योंकि आज प्रत्येक वर्ग – समूह की सामाजिक आर्थिक दशा उनकी राजनैतिक दशा में अन्तर्संबंधित होती है। भारतीय समाज में महिलाओं की सामाजिक स्थिति के मुख्य रूप से कमजोर होने का स्पष्ट प्रभाव उनकी राजनीतिक स्थिति पर पड़ रहा है। महिला सशक्तिकरण के विभिन्न दावों व नारों के बावजूद 21वीं सदी में भी भारतीय संसद में महिला सांसदों की संख्या बहुत ही कम है। यह बड़ी विडम्बना की बात है कि आज भारतीय जनता के प्रतिनिधि सदन लोकसभा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व 10 प्रतिशत तक नहीं पहुँच सका है।[7] प्रशासनिक क्षेत्र में भी महिलाओं की उपस्थिति बहुत अपर्याप्त है। न्यायिक पदों एवं सेवाओं में इनका प्रतिनिधित्व लगभग नगण्य है, राजनीतिक, प्रशासनिक एवं न्यायिक क्षेत्र में इनके अल्प प्रतिनिधित्व का दुष्प्रभाव इनकी सुरक्षा, कल्याण एवं विकास के संबंधित मुद्दों पर दिखाई देता है। महिलाओं की राजनीति में भागीदारी बढ़ाने हेतु बहुचर्चित महिला आरक्षण विधेयक राजनीतिक दलों की मिलीभगत की वजरह से परिवर्तित नहीं हो पा रहा है, इस विधेयक में लोकसभा व राज्य विधानसभाओं के सदस्यों के एक तिहाई पदों को महिलाओं के लिए आरक्षित किए जाने का प्रावधान है। वास्तव में प्रमुख राजनीति दलों का नेतृत्व पुरूषों के हाथ में है, और वे इस विधेयक को कानून बन जाने से अपनी सत्ता व नेतृत्व को चुनौती मिलने का खतरा महसूस कर रहे हैं। यद्यपि इन सबके बावजूद कहीं – कहीं पर राजनीतिक व प्रशासनिक भागीदारी के क्षेत्र में महिलाएँ वर्तमान में समाज सुधार, शासन संचालन, सैन्य व्यवस्था, रेलयान, विमान चालन इत्यादि सभी क्षेत्रों में बखूबी कर्त्तव्य का निर्वहन कर रही हैं, इक्कीसवीं सदी के प्रथम दशक के उत्तरार्द्ध में देश के सर्वोच्च पद पर आसीन होकर श्रीमती प्रतिभा पाटिल ने विश्व मानव समाज के समक्ष भारतीय नारियों का गौरव बढ़ाया है। आज इनकी वीरता, बुद्धिजीविता, राजव्यवस्था एवं समाज सुधार का कार्य पुरूषों से किसी भी अर्थ में कम नहीं है। लोकतांत्रिक शासन प्रणाली के साथ साथ भारत एक गणराज्य भी है, और राज्य शासन व्यवस्था का स्वरूप संसदात्मक है।

केन्द्रीय और राज्य सरकारों में महिलाओं की भागीदारी सम्प्रति राजनीतिक दलों की महिलाओं के प्रति इस अर्थ में संवेदनशीलता पर निर्भर है, आम चुनावों में महिला आरक्षण विधेयक पर आम सहमति न बन पाने के कारण या फिर महिला सशक्तिकरण व अधिकारिता के चलते शासन में स्त्रियों की भागीदारी समुचित नहीं है ।8 भारत में शासन के संघात्मक स्वरूप को अपनाया गया। राज्य स्तर पर लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत विधान मण्डल के तीन अग्र राज्यपाल (राज्य कार्यपालिका का प्रधान), विधान सभा तथा किन्हीं दो राज्यों में विधान परिषद का प्रावधान है। विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा महिलाओं को चुनाव में उम्मीदवार बनाने के लिए अभी तक सांविधानिक तौर पर कोई अनिवार्यता निर्धारित नहीं की गई है। महिलाओं की राजनीतिक परिस्थिति को मजबूत स्थिति में पहुँचाने तथा उन्हें स्वयं के हित साधनों के लिए संसद तथा राज्य विधान मण्डलों में महिला आरक्षण की आवश्यकता है।[9] केन्द्रीय मंत्रिपरिषद में महिलाओं के प्रतिनिधित्व का जहाँ तक प्रश्न है, तो वह सत्तासीन दल के मुखिया के ऊपर निर्भर है। वर्तमान शासन व्यवस्था में यदि नारियों के प्रतिनिधित्व पर दृष्टि दौड़ाई जाए तो हम यह पाते हैं कि वर्ष 2004 में निम्न सदन लोकसभा में

eISSN 2581-8996
ONLINE
THE INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN MULTIDISCIPLINARY SCIENCES (IJARMS)
A BI-ANNUAL, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) JOURNAL
Volume 04, Issue 01, Jan 2021

इनकी प्रतिशतता 8.8 प्रतिशत थी, जबकि राज्य सभा (उच्च सदन) में उसके अधीनस्थ अधिकारियों व न्यायपालिका क्षेत्र में भी महिलाओं की भागीदारी 21वीं सदी नारी सदी होगी के अनुरूप बहुत कम है। राष्ट्र समुन्नति के लिए महिलाओं को जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अवसर की समानता मिलना जरूरी है, जिसके अभाव में राष्ट्र विकास पथ पर बेहतरी के साथ आगे नहीं बढ़ सकता। राष्ट्र व समाज उन्नति के लिए आवश्यक है कि पारिवारिक जीवन क्षेत्र से लेकर शासन–प्रशासन स्तर तक नारी जीवन मूल्यों के प्रति उनके विकास के प्रति भारतीय मानव समाज संवेदनशील हो तथा नैतिक मूल्यों के साथ सतत प्रयत्नशील हो, क्योंकि पूर्व में हम यदि बात करें तो स्वामी विवेकानन्द ने भी उचित कहा है कि सतत प्रयत्नशील हो, क्योंकि पूर्व में हम यदि बात करें तो स्वामी विवेकानन्द ने भी उचित कहा है कि सतत प्रयत्नशील हो, क्योंकि पूर्व में हम यदि बात करें तो स्वामी विवेकानन्द ने भी उचित कहा है कि 'स्त्रियों की दशा में सुधार न होने तक विश्व का कल्याण उसी प्रकार असम्भव है, जिस प्रकार पक्षी का एक पंख से उड़ना, हमें सदैव याद रखना होगा कि एक नारी ही सुयोग्य व संस्कारवान संतान द्वारा पूरे राष्ट्र का निर्माण करने का श्रेय प्राप्त कर सकती है। अतः महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु अधिकारों के साथ–साथ उन्हें स्वस्थ मानवीय व्यवहार, समानावसर व महत्त्व भी प्रदान किया जाए।[10]' निःसंदेह महिलाएं भी सर्वगुण संपन्न होती हैं, वे न केवल पति को ही सहयोग प्रदान करती हैं, बल्कि अपने माता–पिता, भाई–बहन, सास–ससुर व बच्चों सहित उचित सहयोग व महत्व प्रदान करने की क्षमताएँ रखती हैं। आवश्यकता है उनके इन गुणों का सदुपयोग किया जाए। यदि विश्व की आधी आबादी का वास्तविक सशक्तिकरण कर लिया, तो वह दिन दूर नहीं जब विश्व की आर्थिक, सामाजिक व राजनीतिक स्थिति मिलकर सुधरने लगे।[11] ऐसा होने से संभवतः गरीबी, अत्याचार, अनैतिकता, भ्रष्टाचार आदि विश्व की ज्वलन्त समस्याओं का सामना प्रस्तुत संभावनाओं रूपी मौलिक व व्यावहारिक सुझावों पर अमल करते हुए किया जा सकता है। संविधान के अनुच्छेद 40 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में संसद द्वारा 73वां एवं 74वां संविधान संशोधन 1992 पारित किया गया है। इस संशोधन द्वारा ग्राम पंचायतों तथा नगरपालिकाओं में क्रमशः अनुच्छेद 243(घ) तथा अनुच्छेद 243(ब) द्वारा आरक्षित तथा अनारक्षित वर्ग की महिलाओं हेतु 33 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई है, विधायिका में महिला आरक्षण के मामले पर सभी गतिरोधों को समाप्त करने के लिए एक नया प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन है।[12] इस प्रस्ताव के अन्तर्गत संसदीय व विधान सभा सीटों की वर्तमान संख्या में एक तिहाई वृद्धि कर उसे महिलाओं के लिए आरक्षित करने की योजना है।

महिलाओं को इस प्रकार से आरक्षण देने के लिए संविधान में संशोधन करना होगा क्योंकि संविधान के वर्तमान प्रावधानों के अनुसार निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या में वर्ष 2026 तक कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता।[13] 21वीं सदी के विश्व नारीवाद की यदि देखा जाए, तो विशेष तौर पर 1920 के दशक में भी नारीवाद ने एक उत्तेजक राजनीतिक वातावरण तैयार किया। न केवल इस्लामी देशों में बल्कि पश्चिमी देशों में भी नारीवाद को उग्र प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। 1920 के थैबा और रीगन के प्रशासन में खुलेआम नारीवाद के खिलाफ परिवार के मूल्यों को बचाने का आह्वान किया गया, जिसमें प्रमुख जोर महिला की परंपरागत भूमिकाओं, जैसे– माता और पत्नी की भूमिका पर जो दिया गया।[14] 21वीं सदी में नारीवाद ने अपने प्रमुख लक्ष्य एवं उद्देश्यों को या तो प्राप्त कर लिया है या प्राप्ति की ओर बढ़ रहा है। महिला मताधिकार तो 20वीं शताब्दी के मध्य तक प्राप्त कर लिया गया था। जबकि शिक्षा का अधिकार, राजनीतिक एवं व्यवसाय चयन की स्वतंत्रता, समान वेतन, गर्भ समापन का कानून, असमानता निवारण जैसे कानून

eISSN 2581-8996
ONLINE
THE INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN MULTIDISCIPLINARY SCIENCES (IJARMS)
A BI-ANNUAL, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) JOURNAL
Volume 04, Issue 01, Jan 2021

नारीवाद के सेकेण्ड वे की महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ दुनिया के कोने–कोने में घर से दूर जाकर कार्य कर रही हैं। हाल ही में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण निर्णय में कहा है कि सरकारी सेवाओं में महिलाओं को आरक्षण के साथ ही आयु सीमा में भी छूट मिलनी चाहिए। न्यायालय ने राज्य से नीतिगत निर्णय लेने की संस्तुति की है। महिलाओं की आयु सीमा में वृद्धि करने को लेकर प्रीति शर्मा और अन्य की याचिका को निस्तारित करते हुए न्यायमूर्ति सुनील अम्बानी और न्यायमूर्ति जयश्री तिवारी की खम्डपीठ ने यह निर्णय सुनाया है।[15] न्यायालय ने सीधे तौर पर हस्तक्षेप करते हुए कहा है कि संविधान का अनुच्छेद 15(3) राज्य सरकारों को महिलाओं के लिए विशेष उपबंध करने की अनुमति देता है । अतः 21वीं सदी में आवश्यकता एक ऐसे 'थर्ड वे' की है जो लिंग संबंधी प्रकृति को बदलने के साथ ही नारीवाद के नियम को ध्वस्त कर सके ।

सन्दर्भ सूची–

1. आनन्द प्रकाश सिंह, महिला सशक्तिकरण एवं पंचायती राज व्यवस्था दृ एक क्षेत्रीय अध्ययन – चमोली जनपद के विशेष संदर्भ में, समाज विज्ञान शोध पत्रिका, अक्टूबर 2006 से मार्च 2007, अवस–प्ट पृष्ठ 74 ।
2. आशारानी व्होरा – औरत कल, आज और कल, प्रकाशक कल्याण शिक्षा परिषद, दरियागंज, दिल्ली, पृष्ठ 94 ।
3. कृष्ण कुमार सिंह – भारत में सामाजिक न्याय की अवधारणा – महिलाओं के सन्दर्भ में, समाज विज्ञान शोध पत्रिका, अप्रैल से सितम्बर 2010, पृष्ठ 43।
4. गेराल्ड एच फारबस, दि वूमेन्स मूवमेन्ट इन इण्डिया ट्रेडिशनल सिम्बल्स न्यू रोल्स अन्तर्गत एम.एस.ए. राव (संपादित) सोशल मूवमेंट इन इण्डिया मानेहर, नई दिल्ली–2004, पृष्ठ 365–81।
5. भारत 2007 . पृष्ठ 962।
6. जनसत्ता, लखनऊ, 15 दिसंबर 2007, पृष्ठ 7।
7. नीरा देसाई व ऊषा ठक्कर, वूमेन इन इण्डियन सोसायटी, नेशनल बुक ट्रस्ट– दिल्ली 2001–पृष्ठ–105
8. सुरेश लाल श्रीवास्तव– भारतीय शासन व्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी, प्रतियोगिता दर्पण, मई–2008, पृष्ठ 1795।
9. सुरेश लाल श्रीवास्तव– भारतीय शासन व्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी, प्रतियोगिता दर्पण, मई–2008, पृष्ठ 1796।
10. नियाज अहमद मन्सूर अली– महिला सशक्तिकरण चुनौतिया एवं संभावनाएं, प्रतियोगिता दर्पण, फरवरी–2007, पृष्ठ–1240
11. नियाज अहमद मन्सूर अली– महिला सशक्तिकरण चुनौतिया एवं संभावनाएं, प्रतियोगिता दर्पण, फरवरी–2007, पृष्ठ–1241
12. दिनेश श्रीवास्तव, भारत में महिला सशक्तिकरण के प्रयास, प्रतियोगिता दर्पण, सितम्बर 2008, पृष्ठ 279
13. दिनेश श्रीवास्तव, भारत में महिला सशक्तिकरण के प्रयास, प्रतियोगिता दर्पण, सितम्बर 2008, पृष्ठ 280
14. राकेश कुमार सिंह, नारी आंदोलन–लैंगिक राजनीति से आगे नारीवाद, चाणक्य–जुलाई 2007, पृष्ठ 145
15. राकेश कुमार सिंह, नारी आंदोलन–लैंगिक राजनीति से आगे नारीवाद, चाणक्य–जुलाई 2007, पृष्ठ 146
16. अमर उजाला, मेरठ संस्करण–मंगलवार, 8 फरवरी 2011, पृष्ठ 1।